02/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.2023	पत्रावली अपीलांट रघुनाथराम एवं उनके अधिवक्ता श्री रोशनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तलब करने मिसल पर आज पेश हुई। वकील अपीलांट श्री रोशनलाल उपस्थित। वकील अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो करने बाबत पेश किया जो शामिल मिसल हो। प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट्स की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मामला विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त अपील में अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष स्थगन बाबत अपील की हुई थी, क्योंकि उस समय एस.डी.ओ. औसियां का पद रिक्त था। उक्त कुछ समय बाद एस.डी.ओ. औसियां का कार्यभार अधिकारी द्वारा सम्भाला गया तो उस समय अपीलार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एस.डी.ओ. औसियां के समक्ष पेश किया गया तथा एस. डी.ओ. औसियां द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। इस कारण अपीलार्थीगण अपनी अपील को विड्रो करना चाहते है तथा आगे चलाना नहीं चाहते है। वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण सभी उपस्थित नही हो पाये है, उनकी ओर से अपीलांट अधिवक्ता द्वारा फोन पर दिये गए निर्देश अनुसार अपील विड्रो की जा रही है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विड्रॉल खारिज फरमायी जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने एवं जरिये विड्रो खारिज करवाने से प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। [signature] 21.9.23 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	[signature] (अधिवक्ता अपीलार्थीगण)